N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0207 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 14/08/2025 19:23 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 05/08/2025 Date To (दिनांक तक): 12/08/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 13:40 बजे Time To (समय तक): 12:31 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 14/08/2025 Time (समय): 13:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक एवं समय) 14/08/2025 19:23:11 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 75 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): GRAM PANCHYAT KALESARIYA, PANCHYAT SAMITI DEVGARH, JILA RAJSAMAND

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): LADULAL

(b) Father's Name (पिता का नाम): HEERALAL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1983 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KHAKHRDA/JEEVAKHEDA, GRAM PANCHYAT KALESARIYA, DEVGARH, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KHAKHRDA/JEEVAKHEDA, GRAM PANCHYAT KALESARIYA, DEVGARH, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JASRAJ		पिता:PRABHURAM	1. DARJIYO KI DHANEE,,LAGASAR RAJMTHAI,JAISALMER,RAJAST
2	TOLARAM		पिता:DEVARAM	1. KALESARIYA,DEVGARH,RAJSAMAND,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 15,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी, वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी श्री लादुलाल पुत्र श्री हीरालाल, जाति सालवी, उम्र-42 वर्ष निवासी खाखरडा, जीवाखेडा, ग्राम पंचायत कालेसरिया, तहसील व पुलिस थाना देवगढ़, जिला राजसमन्द ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित होकर एक टाईप शुदा प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरी पत्नी श्रीमती शान्ति देवी के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था। मेरा आवेदन स्वीकृत हुआ और मकान बनाने के लिए कुल 120000 रूपये मे से पहली किश्त 15000 रूपये मेरी पत्नी के खाते में प्राप्त हुई तथा बकाया किश्ते प्राप्त करने के लिए मैं जब श्री जसराज जी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कालेसरिया से मिला तो उस समय उनके पास श्री तोलाराम नायक चपरासी भी खडे थे तब श्री जसराज जी ग्राम विकास अधिकारी ने मुझसे कहा कि मकान बनाने के लिए बकाया किश्ते प्राप्त करनी हैं तो दो-तीन दिन में 25000 रूपये की व्यवस्था करके श्री तोलाराम नायक चपरासी को दे देना। उस समय श्री जसराज जी ग्राम विकास अधिकारी व श्री तोलाराम नायक ने मुझसे कहा कि 25000 रूपये नहीं दोगे तो आपका मकान निरस्त कर देंगे। श्री जसराज जी व श्री तोलाराम नायक दोनों आपस में मिले हुए हैं और मेरे मकान बनाने के लिए बकाया किश्तों की राशि खाते में डालने के लिए मुझसे रिश्वत राशि 25000 रूपये की मांग कर रहे हैं। मैं श्री जसराज जी व श्री तोलाराम नायक को रिश्वत राशि 25000 रूपये नहीं देना चाहता हुं बल्कि मैं इन दोनों को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। मेरे एवं श्री जसराज जी ग्राम विकास अधिकारी व श्री तोलाराम नायक के बीच कोई आपसी लेनदेन बकाया नहीं हैं और ना ही कोई आपसी रंजीश हैं। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि श्री जसराज जी ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री तोलाराम नायक चपरासी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें और मुझ प्रार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की कृपा करावें। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत चारण द्वारा परिवादी श्री लादुलाल से मजिद दरियाप्त की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाप्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने मे परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु समझाईश कर आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 06.08.2025 को ब्यूरो कार्यालय से श्री किशनाराम कानि. को परिवादी के पास भिजवाकर परिवादी एवं संदिग्धगण श्री जसराज व श्री तोलाराम के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवायी जाकर ब्यूरो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में संदिग्धगण श्री जसराज व श्री तोलाराम द्वारा परिवादी श्री लादुलाल से रिश्वत राशि 25000 रूपये की मांग करना तथा परिवादी द्वारा कुछ कम करने की कहने पर हर दोनों संदिग्धगण द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 20000 रूपये प्राप्त करने हेतु अपनी-अपनी सहमति जाहिर करने की पुष्टि होना पाया गया। तत्पश्चात दिनांक 07.08.2025 को परिवादी के बताये अनुसार दिनांक 08.08.25 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की संभावना होने से दो स्वतंत्र गवाहान एवं अनुबन्धित वाहन मय चालक की तलबी हेतु दिनांक 07.08.25 को पृथक-पृथक पत्र जारी किया गया। जिस पर दिनांक 08.08.25 को उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजसमन्द कार्यालय से पूर्व पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्रसिंह कनिष्ठ लेखाकार एवं श्री चिराग आशिया कनिष्ठ लेखाकार तथा भूमि विकास बैंक राजसमन्द से अनुबंधित वाहन टवेरा नं. आर0जे0-27-टी0ए0-5867 मय वाहन चालक श्री दूदालाल एवं परिवादी श्री लादुलाल उपस्थित कार्यालय आये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराया जाकर परिवादी एवं दोनों गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया तथा दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा दिनांक 05.08.2025 को प्रस्तुत टाईपशुदा प्रार्थना-पत्र पढकर सुनाया गया तथा पढ़ाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही गई जिस पर हर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से आवश्यक पूछताछ कर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतोर गवाहान उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति दी एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर हर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दिनांक 06.08.2025 को परिवादी श्री लादुलाल एवं संदिग्धगण श्री जसराज ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कालेसरिया व श्री तोलाराम नायक चपरासी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब की गई। तत्पश्चात रिश्वत राशि प्राप्त करने के

लिए संदिग्ध श्री तोलाराम नायक चपरासी का परिवादी श्री लादुलाल के मोबाईल पर फोन नहीं आने तथा परिवादी के आवश्यक कार्य होने से परिवादी, दोनों स्वतंत्र गवाहान, अनुबन्धित वाहन मय चालक को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 12.08.2025 को समय 08.00 ए0एम0 पर अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं भूमि विकास बैंक राजसमन्द से अनुबंधित वाहन मय चालक एवं कार्यालय हाजा का समस्त जाब्ता ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। तत्पश्चात समय 09.00 ए0एम0. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 262 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र सिंह व श्री चिराग आशिया एवं श्रीमती तारा देवी म0 कानि0 नम्बर 259 को मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि के साथ मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय अनुबंधित वाहन टवेरा नं. आर0जे0-27- टी0ए0-5867 मय चालक के तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404, श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414, श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 व श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. RJ14VC2589 के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने सरकारी/अनुबंधित वाहन से अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी राजसमन्द से रवाना हो समय 11.10 एएम पर परिवादी के बताये स्थान ग्राम कमेरी-डोडखेडा की सरहद पर पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री लादुलाल पूर्व पाबन्द शुदा अपनी मोटरसाईकिल के साथ रोड के किनारे उपस्थित मिला तथा परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने अपने सूत्रों से पता करवाया तो जानकारी हुई कि श्री जसराज जी ग्राम विकास अधिकारी अभी ग्राम पंचायत कालेसरिया में नहीं मिलेंगे जो ग्राम पंचायत नराणा की तरफ गये हुए हैं और अभी ग्राम पंचायत नराणा में ही मिलेंगे और श्री तोलाराम नायक चपरासी अभी ग्राम पंचायत कालेसरिया में उपस्थित हैं, जो अपनी मांग अनुसार मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण कर लेगा, और मैं रिश्वत राशि 15000 रूपयों की ही व्यवस्था कर पाया हुं जो अभी मेरे पास रखे हुए हैं। परिवादी के बताए अनुसार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414, श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404 व श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक को ग्राम पंचायत नराणा पहुंच, गोपनीय रूप से संदिग्ध श्री जसराज ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कालेसरिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर, उस पर निगरानी रखने एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध श्री तोलाराम नायक चपरासी के विरूद्ध सम्भावित ट्रेप कार्यवाही करने के पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिए मोबाईल निर्देशित किये जाने पर संदिग्ध श्री जसराज ग्राम विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत नराणा से डिटेन कर हमराह साथ लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश करने की आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414, श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404 व श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक को मय सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. RJ14VC2589 के ग्राम पंचायत नराणा की तरफ रवाना किया गया । तत्पश्चात समय 11.20 ए0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री लादुलाल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राशि 15000 रूपये प्रस्तुत किये। उक्त समस्त नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु श्रीमती तारा महिला कानि0 नं. 259 के पास सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी में से भूमि विकास बैंक के अनुबंधित वाहन टवेरा के बॉनट के उपर अखबार बिछा कर अखबार पर उक्त समस्त नोटो के दोनो ओर श्रीमती तारा महिला कानि0 से फिनोफ्थेलीन पाउडर निकलवाकर लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र सिंह कनिष्ठ लेखाकार से लिवाई जाकर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगे सभी नोटो को परिवादी श्री लादूलाल के शरीर पर पहनी हुई जींस पेंट की सामने की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्रीमती तारा महिला कानि0 से रखवाये गये। तत्पश्चात एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में अनुबंधित वाहन में रखे पानी के केम्पर से साफ पानी भरवा कर इसमें श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया और उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री लादूलाल को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्रीमती तारा महिला कानि0 के हाथ के अंगुठो व अंगुलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत में उक्त राशि को मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों के अंगुठो व अंगुलियों पर लग जाएगा और जब आरोपी के हाथों के अंगुठो व अंगुलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जायेगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर तथा रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा करने हेतु निर्देशित कर यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को भी समझाया गया। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री लादुलाल को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू करवा संदिग्ध श्री तोलाराम से अग्रिम रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता करने हेतु परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से ग्राम पंचायत कालेसरिया की तरफ रवाना करते हुए परिवादी के पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री जितेन्द्र

कुमार कानि0 नम्बर 262 व श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय अनुबंधित वाहन टवेरा नं. आर0जे0-27- टी0ए0-5867 मय चालक के मुकिम स्थल से ग्राम पंचायत कालेसरिया की तरफ रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 12.31 पी.एम. पर परिवादी श्री लादुलाल द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान को आरोपी श्री तोलाराम नायक द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने पर ग्राम पंचायत कालेसरिया के मैन गेट पर आकर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र सिंह व श्री चिराग आशिया एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नम्बर 117, श्री हेमराज कानि0 नं0 306, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262, श्रीमती सीता हैड कानि0 नं0 233 के तेज-तेज कदमों से चलकर ग्राम पंचायत कालेसरिया पहुंचे, जहां पर परिवादी श्री लादुलाल उपस्थित मिला। जिसने अपने पास रखे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द किया जिसे बन्द कर मैंने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री लादुलाल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री तोलाराम चपरासी ने मुझसे ग्राम पंचायत कालेसरिया के हॉल में कुर्सी पर बैठे हुए 15000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री किशनाराम कानि0 नं0 404 को जरिए मोबाईल वार्ता कर संदिग्ध जसराज को डिटेन कर हमराहियान ग्राम पंचायत कालेसरिया पहुचने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी मय हमराहियान के ग्राम पंचायत कालेसरिया में प्रवेश किया तो एक व्यक्ति जो कि पेन्ट शर्ट पहने हुए हॉल से बाहर आया, उक्त व्यक्ति की ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही तोलाराम चपरासी है, जिसने मुझसे अभी-अभी ग्राम पंचायत के हॉल में कुर्सी पर बैठे हुए 15000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर अपनी पहनी हुयी पेन्ट बरंग ब्राउन के पिछे की दाहिनी जेब में रखे है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी का एक हाथ श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नं0 117 एवं दूसरा हाथ श्री जितेन्द्र कानि0 नं0 262 से कलाई से उपर पकडवाया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं का तथा हमराहियान ब्यूरो टीम का परिचय देते हुए आरोपी से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री तोलाराम पुत्र श्री देवाराम जाति नायक उम्र 45 वर्ष निवासी कालेसरिया पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द हाल अंशकालिक चपरासी ग्राम पंचायत कालेसरिया प्राईवेट व्यक्ति होना बताया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी को परिवादी श्री लादुलाल से 15000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछा तो श्री तोलाराम ने कहा कि मैंने लादुलाल से उसकी पत्नी श्रीमती शांती देवी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहायता राशि की बकाया किश्तो की राशि प्राप्त करने के लिए लादुलाल दिनांक 06.08.25 को ग्राम पंचायत कालेसरिया आया था, मेरे व ग्राम विकास अधिकारी श्री जसराज एवं लादुलाल के मध्य बकाया किश्ते जमा कराने हेतु हुयी वार्ता में 20000 रूपये लेना तय हुआ था। उसी क्रम में लादुलाल ने मुझे 15000 रूपये दिए और कहा कि 5000 रूपये मैं शाम को दे दूंगा। जिस पर परिवादी ने स्वतः ही बताया कि श्री तोलाराम जी सही कह रहे है। मेरे से अभी-अभी 15000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने दोनो हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुयी पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री तोलाराम से पुछा तो बताया कि मैंने रिश्वत राशि 15000 रूपये अपने हाथो में लेकर पहनी हुयी पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब में रखे है। जो अभी भी मेरी उक्त जेब में पडे है। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चालू कर सुना गया तो रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता होना पाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री तोलाराम के हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 से गाडी में रखे ट्रेप बॉक्स मंगवा कर श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. से ट्रेप बॉक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में उक्त ग्राम पंचायत में रखी हुयी पानी की बोटल से अलग-अलग साफ पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री तोलाराम के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री तोलाराम के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई । इसके पश्चात आरोपी श्री तोलाराम की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र सिंह से लिवाई गई तो श्री तोलाराम की शर्ट की उपर की बायी साईड की जेब से एक मोबाईल वीवो कम्पनी का मिला तथा पहनी हुई ब्राउन रंग की पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब से 500-500 के कुछ नोट मिले। जिसे श्री नरेन्द्र सिंह स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो 500-500 के 30 नोट कुल राशि 15,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाई गई तो नोटो के नम्बर समान होना पाये गये जिनके नम्बर इस प्रकार हैं - 1. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 BR 707453, 2. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4NE 779605, 3. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1UD 286513, 4. 500 रूपये का

एक नोट नम्बर 2 AK 957876, 5. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6UD 574339, 6. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5NB 705661, 7. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GN 863373, 8. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4AK 038694, 9. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4PH 963614, 10. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1CL 914302, 11. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3SD 035420, 12. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8PK 741196, 13. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7AU 533534, 14. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9PR 721630, 15. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9DL 970066, 16. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4GD 291170, 17. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2NG 103662, 18. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2RM 138680, 19. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6GT 579115, 20. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3KR 382964, 21. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7BS 017365, 22. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2CG 401366, 23. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1EL 052963, 24. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4HM 162881, 25. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9EL 986880, 26. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7QM 574149, 27. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0KE 181341, 28. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8SG 273811, 29. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4LV 643507, 30. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7HC 321930, उक्त नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री तोलाराम की पहनी हुई पेन्ट बरंग ब्राउन के पिछे की दाहिनी जेब मे 15,000 रूपये बरामद होने मे श्री तोलाराम के भाई श्री रूपाराम से एक अन्य पेन्ट मंगवाई गई, पहनी हुई उक्त पेन्ट को ससम्मान खुलवाकर दूसरी पेन्ट पहनायी जाकर उक्त पेन्ट बरंग ब्राउन के पिछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर धुलवाने हेतु श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। उक्त गिलास में रखे रंगहीन घोल में उक्त पेन्ट बरंग ब्राउन के पिछे की दाहिनी जेब उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब का धौवण गुलाबी हो गया। उक्त घोल को दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरवाकर सीलचिट कर धौवण की शिशियों को मार्क क्रमश P-1 व P-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात उक्त पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब को धोकर, सुखा कर, उक्त जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा, उक्त पेंट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में मिलचिट कर मार्क 'P' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। तथा आरोपी श्री तोलाराम की जामा तलाशी में मिले वीवो कम्पन्नी का मोबाईल फोन को तोलाराम के भाई श्री रूपाराम को सिपूर्द किया गया। तत्पश्चात श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404, श्री भंवरदान कानि0 नं0 414 व श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक, ग्राम विकास अधिकारी को पूर्व निर्देशानुसार ग्राम पंचायत नराणा से लेकर उपस्थित ग्राम पंचायत कालेसरिया आये। श्री किशनाराम कानि0 नं0 404 ने बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत नराणा पहुंच, ग्राम पंचायत में उपस्थित व्यक्ति से उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम जसराज ग्राम विकास अधिकारी कालेसरिया पंचायत समिति देवगढ जिला राजसमन्द होना बताया। जिस पर श्री जसराज को उक्त ट्रेप कार्यवाही से अवगत करा ग्राम पंचायत नराणा के कार्यालय का लॉक बन्द करवा कर ग्राम पंचायत नराणा में उपस्थित ई-मित्र संचालक श्री भावेश सेन को चाबी सुपूर्द कर श्रीमान के निर्देशानुसार श्री जसराज को डिटेन कर उपस्थित ग्राम पंचायत कालेसरिया आये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ग्राम विकास अधिकारी से उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम श्री जसराज पुत्र श्री प्रभुराम जाति दर्जी उम्र 25 वर्ष निवासी दर्जियों की ढाणी, लॉगासर राजमथाई पुलिस थाना फलसुण्ड जिला जैसलमेर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कालेसरिया पंचायत समिति देवगढ जिला राजसमन्द होना बताया और कहा कि मुझे ग्राम पंचायत नराणा का अतिरिक्त चार्ज मिला, जिस पर मैं ग्राम पंचायत नराणा में कार्य ग्रहण करने गया था परन्तु कार्यग्रहण नहीं कर पाया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी जसराज को परिवादी श्री लादुलाल से रिश्वत राशि 25,000 रूपये की मांग कर 20,000 रूपये प्राप्त करने हेतु सहमत होना तथा रिश्वत राशि श्री तोलाराम को दिलवाने के संबंध में पुछा गया तो श्री जसराज ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। आरोपी जसराज से श्री तोलाराम अंशकालिक चपरासी के वेतन संबंधी जानकारी की गई तो श्री जसराज ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर अपनी निजि आय से डेली बेसिस के आधार पर श्री तोलाराम को नियुक्त किया गया है, जो ग्राम पंचायत की निगरानी का काम करता है, जिसे मासिक वेतन 5,720 रूपये का भुगतान ग्राम पंचायत कालेसरिया द्वारा वाउचर के माध्यम से श्री तोलाराम के खाते में जमा करवाई जाती है। श्री तोलाराम प्राईवेट व्यक्ति है। इसके उपरांत दिनांक 06.08.2025 को परिवादी व श्री जसराज एवं तोलाराम के मध्य हुई मांग सत्यापन रूबरू वार्ता को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास रखे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही चालू कर आरोपीगण श्री जसराज एवं श्री तोलाराम को सुनाई गई तो आरोपी श्री जसराज ने अपना सिर झुका लिया ओर कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से सहायता राशि की पहली किश्त श्री लादुलाल की पत्नी श्रीमती शांती देवी के खाते में हस्तान्तरित हुई थी, बकाया किश्ते जमा कराने की एवज में लादुलाल से 20,000 रूपये रिश्वत राशि मैने श्री तोलाराम को देने के लिए कहा था। गलती हो गई, माफ कर दो। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने उक्त रिश्वत राशि में से अन्य किसी अधिकारी-कर्मचारी का हिस्सा होने बाबत पुछा तो आरोपी जसराज ने

अन्य किसी का हिस्सा होने से इंकार कर दिया। तत्पश्चात ग्राम विकास अधिकारी से परिवादी श्री लादुलाल की पत्नी श्रीमती शांती देवी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित पत्रावली पेश करने हेतु कहा गया तो श्री जसराज ने कहा कि उक्त पत्रावली पंचायत समिति देवगढ में है। तत्पश्चात आरोपीगण श्री जसराज पुत्र श्री प्रभुराम जाति दर्जी उम्र 25 वर्ष निवासी दर्जियों की ढाणी, लॉगासर राजमथाई पुलिस थाना फलसुण्ड जिला जैसलमेर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कालेसरिया पंचायत समिति देवगढ जिला राजसमन्द एवं श्री तोलाराम पुत्र श्री देवाराम जाति नायक उम्र 45 वर्ष निवासी कालेसरिया पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द हाल अंशकालिक चपरासी ग्राम पंचायत कालेसरिया पंचायत समिति देवगढ जिला राजसमन्द के विरूद्व धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होना पाया गया। तत्पश्चात ग्राम पंचायत कालेसरिया का फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मूर्तिब किया जाकर आरोपी श्री जसराज के देवगढ स्थित किराये के कमरे पर पहुंच फर्द खाना तलाशी मूर्तिब की गई। बरामदगी एवं खाना तलाशी की विडियोग्राफी श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 द्वारा निर्देशानुमार की गई। तत्पश्चात पुलिस थाना देवगढ पहुंच अग्रीम कार्यवाही करते हुए आरोपीगण श्री जसराज ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री तोलाराम अंशकालिक चपरासी को नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर पृथक-पृथक फर्द गिरफ्तारी मूर्तिब की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन देन वार्ता, फर्द डबिंग एवं जप्ती मूल पेन ड्राईव (रिश्वत राशि बरामदगी का वीडियों), फर्द डबिंग एवं जप्ती मूल पेन ड्राईव (खाना तलाशी का वीडियों), फर्द डबिंग एवं जप्ती मूल पेन ड्राईव (रिकॉर्ड वार्ता), फर्द जप्ती मूल मेमोरी कार्ड (रिश्वत राशि बरामदगी), फर्द जप्ती मूल मेमोरी कार्ड (खाना तलाशी), फर्द जप्ती मूल मेमोरी कार्ड (रिकॉर्ड वार्ता) एवं फर्द नष्टीकरण अलग से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवगढ, जिला राजसमन्द से परिवादी की पत्नी श्रीमती शान्ति देवी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजात के प्राप्त हुए जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। आरोपीगण श्री जसराज एवं श्री तोलाराम को अपनी आवाज का नमूना सेंपल रिकॉर्ड करवाने हेतु पृथक-पृथक पत्र जारी किये गये। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री जसराज ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कालेसरिया पंचायत समिति देवगढ जिला राजसमन्द द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री लादुलाल की पत्नी श्रीमती शांती देवी के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से महायता राशि की पहली किश्त श्रीमती शांती देवी के खाते में हस्तान्तरित हुई थी, बकाया किश्ते जमा कराने की एवज में आरोपीगण द्वारा मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 25,000 रूपये की मांग कर, रिश्वत राशि 20,000 रूपये लेने पर सहमत होना तथा आरोपी श्री जसरास ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी श्री लादुलाल को रिश्वत राशि 20,000 रूपये, श्री तोलाराम अंशकालिक चपरासी (प्राइवेट व्यक्ति) को देने के लिए कहना तथा मांग के अनुसरण में दिनांक 12.08.2025 को रिश्वत राशि 15,000 रूपये वक्त लेन-देन आरोपी श्री तोलाराम द्वारा परिवादी श्री लादुलाल से प्राप्त कर उक्त रिश्वत राशि 15,000 रूपये अपने हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब में रखना तथा आरोपी की पहनी हुई उक्त पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि 15,000 रूपये बरामद होना तथा आरोपी श्री तोलाराम द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात दोराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई के उपरांत दोनो हाथों के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना व आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब को उलटवाने के पश्चात प्राप्त किये गये धोवण का रंग गुलाबी होना पाया जाने से आरोपीगण श्री जसराज पुत्र श्री प्रभुराम जाति दर्जी उम्र 25 वर्ष निवासी दर्जियों की ढाणी, लॉगासर राजमथाई पुलिस थाना फलसुण्ड जिला जैसलमेर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कालेसरिया पंचायत समिति देवगढ जिला राजसमन्द एवं श्री तोलाराम पुत्र श्री देवाराम जाति नायक उम्र 45 वर्ष निवासी कालेसरिया पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द हाल अंशकालिक चपरासी ग्राम पंचायत कालेसरिया पंचायत समिति देवगढ जिला राजसमन्द के विरूद्व धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपीगण श्री जसराज एवं श्री तोलाराम के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम मूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (हिम्मत चारण) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द।.............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हिम्मत चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजसमन्द ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण श्री जसराज पुत्र श्री प्रभुराम जाति दर्जी उम्र 25 वर्ष निवासी दर्जियों की ढाणी, लॉगासरराजमथाई पुलिस थाना फलसुण्ड जिला जैसलमेर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कालेसरिया पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द एवं (2) श्री तोलाराम पुत्र श्री देवाराम जाति नायक उम्र 45 वर्ष निवासी कालेसरिया पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द हाल अंशकालिक चपरासी ग्राम पंचायत कालेसरिया(प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुमंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तोडगढ को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट

285 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1177-80 दिनांक 14-08-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राजसमन्द । 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3-मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजसमंद। 4 -अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vikram Singh Rathore **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2025 [illegible]

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	25/01/2000				
2	Male	1980				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है I)